

निजी महाविद्यालय "परिशिष्ट-एक"

विषय :- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम क्रमांक 26 की धारा 22(1) के उल्लंघन पर कार्यवाही।

तारांकित प्रश्न क्रमांक 983 - माननीय विधायक श्री विनय सक्सेना

तारांकित प्रश्न क्रमांक 983 की जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में उपलब्ध करावें :-

निजी महाविद्यालय के शिक्षक का नाम जिनकी नियुक्ति म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत परिनियम 28(कॉलेज कोड) के तहत की गई है।	संशोधित अधिनियम 2000 का 26 जिसे म0प्र0 अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का सदाय) अधिनियम 2000 कहा गया है जो 22.8.2000 से लागू है के पश्चात निजी महाविद्यालयों के शिक्षकों के नाम जिन्हें शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के समकक्ष वेतन दिया जा रहा है	अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के नाम जिन्हें रुपये 10000/- से अधिक प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है।			
	शिक्षक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा वेतन का विवरण	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	शिक्षक का नाम	प्रतिमाह भुगतान किए जा रहे वेतन का विवरण
1	नोट	2	4	5	6

कृपया उपरोक्त प्रपत्र के अनुसार जानकारी ई-मेल [rdvcc1@rediffmail.com](mailto:rdvcc1@rediffmail.com) पर अविलम्ब प्रदान करने का कष्ट करें।

  
13/12/21